


अनिता वार्ड बनाम मंजरी वार्ड

उपकरण सं. 9/दावा/18
ता. 01/01/2018

23/03/2021 - पन्नावली पेशा। वकील वादी उपाधिका। प्राथमिक डिंडी की पालना में IPR, मठकाग द्वारा नकल जमाबन्दी सं. 2072-75 प्रदत्त की। जिसके डिवलोकन से वादनी का खाना प्रथक हो चुका है। वकील वादी सहमत है। जमाबन्दी खाना सं. 9 से वादनी का हिस्सा शुमार खाना प्रथक दर्ज हो जाने के कारण वाद में डेप कार्याली की आवश्यकता न रहने के कारण पन्नावली फसल शुमार की जावे व नम्बर से काम की जाये।


उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथान, जिला झालावाड